निकाल कर आग लगा रहा था। इस दौरान अचानक आग भड़क गई और एक चिंगारी उसके चेहरे पर जा पड़ी। इससे चेहरा बुरी तरह झुलस गया। उसे खन्ना सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

ईएसआइसी ने योजना की अवधि बढ़ाई

जागरण संवाददाता, लुधियाना : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए समयावधि बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। यहीं नहीं, कोरोना महामारी के दौरान रोजगार गंवाने वालों के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ राहत की दर को औसत दैनिक मजदूरी के 25 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद कर दिया है। पहले यह हितलाभ रोजगार छूटने के 90 दिनों बाद देय होता था, जिसे अब शर्तों में छूट देते हुए 30 दिन कर दिया गया है। यह जानकारी मंगलवार को ईएसआइसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना के उप निर्देशक प्रभारी सुनील कुमार यादव ने दी। उन्होंने बताया कि [illegible] द्वारा सीधे इएसआइसी की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन बेरोजारी हितलाभ दावा पेश कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से पेश करना जरूरी था। एक शपथ पत्र के साथ दावे की हार्ड कापी, आधार कार्ड की कापी और बैंक खाते का विवरण संबंधित शाखा में जमा करवाना होगा। राहत भुगतान दावे के दस्तावेजों की प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे जाएगा। लुधियाना क्षेत्र के लाभार्थियों की सुविधा के लिए सभी शाखा कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए है। बीमित व्यक्ति द्वारा गिल रोड, मेन राहो रोड, फोकल प्वाइंट व ग्यासपुरा स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालयों में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA